न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 154 सन 2019
अनवान :–

1. प्रशान्त कुमार पुत्र प्रहलाद जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
2. मंजूदेवी पत्नी प्रहलाद जाति जाट साकनि टोपरिया तहसील नोहर।

बनाम

1. प्रहलाद उर्फ प्रहलादसिह पुत्र बनवारी जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
2. मेनेजर मरूधरा ग्रामीण बैंक टोपरिया
3. मैनेजर ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा चाईया
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 21.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 126/268 के कुल किता 4 की 0.8730हैक व रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 94/137 की कुल 2.5300हैक व रोही मौजा चक 16 आरडब्ल्यूडी के कुल किता 7 की 1.4420हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा हे तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के परिवारिक समझौता के अनुसार वाद भूमि वाद की मद संख्या 4 के अनुसार प्राप्त हुई है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है जिसे अपने परिवारिक समझौता के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य परिवारिक समझौता के अनुसार वाद भूमि वादी की मद संख्या 4 के अनुसार प्राप्त हुई है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 94/137 के कुलखसरा 1 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 है0 भूमि व रोही मौजा 16 आर डब्ल्यू डी

क्रमशः.............2

मंजु प्रशान्त

Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि वादीगण एवं प्रतिवादीं संख्या 1 जो एक ही परिवार के सदस्य है के मध्य आपसी सहमति से परिवारिक समझौता हुआ जिसमें वाद भूमि वाद की मध्य संख्या 4 के अनसुार प्राप्त हुई है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वाद की मद संख्या 4 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसीप्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया है। इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा टोपरिया के खाता संख्या 126/268 के कुल किता 4 की 0.8730हैक व रोही मोजा भगवान के खाता संख्या 94/137 की कुल 2.5300हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं रोही मोज चक 16 आरडब्ल्यूडी की कुल 1.4420हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसाल नाहर क जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 94/137 के कुलखसरा 1 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 है0 भूमि व रोही मोजा 16 आर डब्ल्यू डी

क्रमशः.............2

मंजु प्रशान्त